न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 61 / 2020
प्रविष्टि दिनांक 29.10.2020

सुवालाल पुत्र हरपाल जाति मीना निवासी बिशनपुरा तहसील उनियारा जिला टोक राज0

–अपीलाण्ट

बनाम

तहसीलदार उनियारा जिला–टोक

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय तहसीलदार उनियारा दिनांक 18.09.2020 मिसल नम्बर 527 / 2020

उपस्थिति : (1) श्री गजेन्द्र शर्मा,अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री रामप्रसाद कुमावत, नायब तहसीलदार राजकीय पेरोकार

निर्णय **दिनांक** 06.02.2023

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उनियारा ने अपने निर्णय दिनांक 18.09.2020 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1431,1457 / 1893,1468,1483 व 1466 / 1857 किस्म बारानी–2 वाके ग्राम पचाला तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर फसल काश्त कर अतिक्रमण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 1860 / रू. पेनल्टी कायम कर तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार उनियारा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण मे अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मे अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलांट की प्रोपर तामिल नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व मौके की वास्तविक रिपोर्ट नही मंगवाई और न ही मौके का निरीक्षण किया गया है। अपीलांट का अपने पिता हरपाल के समय से ही निरन्तर बिना किसी बाधा के कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त आराजीयात को अलीगढ रियासत टोक राजपूताना की मलका अमीनुजजमानी बेगम साहेबा जागीरदार मोजा चोरू पचाला द्वारा अपीलाट के

न्यायालय जिला कलेक्टर सत्यमेव जयते टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

पिता को उसकी खिदमत व ईमानदारी से खुश होकर दिनाक 12.01.1946 को बख्शीश की थी,जिसका पट्टा भी जारी कर रखा है। उक्त आराजीयात के सांविक खसरा नम्बर 1108 मिन,1198/8,1199/1 मिन,1196,1198,1199 मिन थे जिनके हाल खसरा नम्बर 1432,1471,1483 बनाये गये है। विवादग्रस्त आराजीयात के संबंध मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा के यहां एक वाद बाबत उद्घोषणा,दुरूस्ती इन्द्राज एंव स्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 30.10.2014 को पेश किया गया था। उक्त प्रकरण म दिनाक 02.12.2014 को विवादग्रस्त आराजीयात पर अपीलाट का कब्जा मानत हुए रिकार्ड एव मौक की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश पारित किया था जो आज भी निरन्तर जारी है। प्रकरण मे तहसीलदार भी पक्षकार है। तहसीलदार द्वारा फिर भी अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही मेन्टेनेबेल नही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि अपीलान्ट को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 1432,1471,1457/1893,1483 व 1466/1857 रकबा 4.65 है0किस्म बारानी–2 वाके ग्राम पचाला तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर फसल काश्त कर अतिक्रमण करने पर तहसीलदार उनियारा द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील हुई है,परन्तु अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित नही हुये है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जो पटवारी रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्व है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है ओर राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाण्ट की स्वंय की तामील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हुये है। अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 1432,1471,1457/1893,1483 व 1466/1857 रकबा 4.65 है0 बारानी–2 वाके ग्राम पचाला तहसील उनियारा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर उडद की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है,जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्ध है। अपोलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली स0 1878/2019 निर्णय दिनांक 17.10.2019 से भूमि से बेदखल किया गया है।

अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा दिनांक 02.12.2014 से खसरा नम्बर 1432,1471 व 1483 वाके ग्राम पचाला पर प्रतिपक्षीगण (तहसीलदार आदि)को जवाब पेश होने तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया है,परन्तु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा की आदेशिका दिनांक 29.01.2018 मे अंकित है कि जवाब पूर्व मे पेश किया जा चुका है,जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.09.2020 को अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति मे

न्यायालय जिला कलेक्टर सत्यमेव जयते टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उनियारा का निर्णय दिनांक 18.09.2020 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते